बाघों के इलाके में पर्यटन

प्रमोद भार्गव

सर्वोच्च न्यायालय की रोक के चलते अब सैलानी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में स्थित बाघों के प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट नहीं घूम सकेंगे। न्यायालय ने सभी राज्यों को बाध्यकारी आदेश देते हुए कहा है कि बाघों के भीतरी क्षेत्र (कोर एरिया) को 10 किलोमीटर के दायरे तक अधिसूचित किया जाए और यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहे। यह आदेश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और इब्राहिम खलीफुल्लाह की खंडपीठ ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत दिया।

पीठ ने यह आदेश बाघों के संरक्षण के लिए प्रयासरत अजय दुबे की 'प्रयत्न' संस्था की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनाया। याचिका में दलील दी गई थी कि बाघ के आवास, आहार और प्रजनन जैसे क्रियाकलापों की वजह से अंदरुनी क्षेत्रों में पर्यटन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव हलचल से बाघ के स्वाभाविक जीवन पर विपरीत असर पड़ता है और उनका प्रजनन प्रभावित होता है। मुख्य रुप से यह याचिका पन्ना और मध्यप्रदेश के अन्य बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन पर रोक की दृष्टि से उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई थी, लेकिन पर्यटन से प्रदेश में हो रहे राजस्व लाभ को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था। वैसे शीर्षस्थ न्यायालय के आदेश के बाद विरोध के स्वर भी उभरना शुरू हो गए हैं। प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी एक दिन के लिए न केवल बंद रहा बल्कि नागरिकों ने लामबंद होकर रैली निकाली। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस प्रतिबंध से पचमढ़ी में बेरोज़गारी बढ़ेगी और वे रोज़ी-रोटी से वंचित हो जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद यह उम्मीद जगी है कि देश के उद्यान व अभयारण्य यदि अंदरुनी क्षेत्रों का सीमाकंन कर देते हैं तो बाघ और तेंदुए जैसे दुर्लभ प्राणियों की संख्या में वृद्धि होगी। दरअसल बाघ संरक्षित क्षेत्रों के दायरे में आने वाला यह अंदरुनी वनखण्ड वह क्षेत्र होता है, जहां बाघ चहल-कदमी करता है, आहार के लिए शिकार करता है, जोड़ा बनाता है और फिर इसी प्रांत की किसी सुरक्षित खोह में आराम फरमाता है। यह क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हो सकता है। न्यायालय ने इसे ही बाघों का अंदरुनी इलाका मानते हुए, इसे अधिसूचित करने के साथ इस क्षेत्र को पर्यटन के लिए प्रतिबंधित किया है।

दरअसल अभी तक हमारे यहां उद्यानों और अभयारण्यों को लेकर विरोधाभासी व पक्षपाती रवैया अपनाया जाता रहा है। इस नज़रिए में वनवासियों को तो वन व वन्य प्राणियों के संरक्षण के बहाने लगातार विस्थापित किया जाता रहा, जबकि उनके जीवन का आधार जंगल ही रहे हैं। किंतु दूसरी तरफ पर्यटन को बढ़ावा देने तथा उसे नवधनाढ्यों के लिए सुविधा संपन्न बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारें होटल, मोटल, रिज़ॉर्ट और मनोरंजन पार्क बनाने की खुली छूट देती रही हैं। यदि उद्यानों में तालाब हैं तो उनमें नौका विहार की खुली छूट दी गई है। इस छूट के चलते बाघ संरक्षित जिन क्षेत्रों से गांवों और वनवासियों को बेदखल किया गया था, उन क्षेत्रों में देखते ही देखते पर्यटन सुविधाओं के जंगल उगा दिए गए।

अकेले मध्यप्रदेश की ही बात करें तो बाघ दर्शन के प्रेमी सैलानियों से ही सालाना 400 करोड़ रुपए का पर्यटन उद्योग संचालित है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2010-11 में केवल छह बाघ संरक्षित उद्यानों में 12 लाख देशी और एक लाख विदेशी सैलानी घूमने आए थे। इनमें भोपाल का वन विहार भी शामिल है जहां सैलानी दुर्लभ सफेद शेर देखने आते हैं। इस उद्योग से राज्य सरकार को शुद्ध मुनाफा 15.41 करोड़ रुपए का हुआ।

इन बाघ अभयारण्यों में आदिवासियों को उजाड़कर किस तरह होटल व लॉजों की श्रृंखला खड़ी की गई है, इसकी फेहरिस्त इस तरह है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 60 होटल, रिज़ॉर्ट व लॉज हैं। बांधवगढ़ में 40, पन्ना में 4, पेंच में 30, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी में 200 रिज़ॉर्ट और

करीब 50 होटल हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेला ऐसा अपवाद है, जिसमें पर्यटकों को ठहराने के लिए कोई सुविधा नहीं है।

वन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के विरुद्ध बाकायदा कानून हैं। इसके बावजूद पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन कारोबारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता रहा है। यही नहीं, राज्य सरकारें अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से भू-उपयोग सम्बंधी नियमों को बदलकर खनन और कारोबार की इजाज़त देती रही हैं। ज़ाहिर है, सरकार को बाघ और विस्थापित वनवासियों की बजाए पर्यटन और उससे होने वाली आय की चिंता ज़्यादा रहती है। ऐसी ही गतिविधियों की ओट में शिकारी अपना जाल आसानी से जंगल के अंदरुनी इलाकों में फैला लेते हैं और वन्य जीवों का शिकार आसानी से कर लेते हैं। रणथम्भौर, सरिस्का, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना में ऐसे ही हालातों के चलते बाघ का शिकार आसान हुआ और इनकी संख्या घटी।

वैसे बाघों की संख्या घटने के लिए केवल पर्यटन उद्योग को दोषी ठहराना गलत है। खनन और राजमार्ग विकास परियोजनाएं भी बाघों की वंश वृद्वि पर अंकुश लगने का कारण बनी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राकृतिक संपदा के दोहन की छूट जिस तरह से दी जा रही है, उसी अनुपात में बाघों के प्राकृतिक आवास भी सिकुड़ रहे हैं। इन्हीं वजहों से बाघ यदाकदा रिहाइशी इलाकों में दाखिल होकर हल्ला बोल देते हैं। खनन और राजमार्ग परियोजना के लिए जितने गांवों और वनवासियों को उजाड़ा गया है, उससे चार गुना ज़्यादा नई मानव बसाहटें बाघ व वन आरक्षित क्षेत्रों में बढ़ी है। पन्ना में हीरा खनन परियोजना, कान्हा में बॉक्साइट, राजाजी और शिवपुरी में राष्ट्रीय राजमार्ग, तडोबा में कोयला खनन और उत्तर प्रदेश, हिमाचल व उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्रों में इमारती लकड़ी व दवा माफिया बाघों के लिए ज़बरदस्त संकट बने हुए हैं।

इसके बावजूद खनिज परियोजनाओं के विरुद्ध बुलंदी से न तो राजनीतिज्ञों की ओर से आवाज़ उठ रही है और न ही वन अमले की ओर से। हां, इसके उलट सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी होने के बाद पचमढ़ी से ज़रूर इस आदेश के विरुद्ध आवाज़ मुखर हुई है, वह भी पर्यटन लॉबी की ओर से। दरअसल यदि यह आदेश अमल में लाया जाता है तो पचमढ़ी में 200 होटल तो नेस्तनाबूद होंगे ही, 42 गांवों को भी विस्थापित किया जाएगा। इसलिए म.प्र. सरकार की ओर से शीर्षस्थ न्यायालय में अर्जी लगाई गई है कि पचमढ़ी को कोर एरिया से बाहर रखा जाए। ज़ाहिर है, सरकारों को बाघ संरक्षण से ज़्यादा चिंता पर्यटन उद्योग और सम्बंधित कारोबारियों की है। ***(स्रोत फीचर्स)***